सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 84/15 **निर्णय दिनांकः 01/12/2017**

1. इकत्रपाल सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी हाल चक 18 बीएलडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

अपीलांट्

–बनाम–

1. मेघाराम पुत्र नारायणराम जाति कुम्हार निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28–05–1999 व
आवंटन आदेश दिनांक 16–08–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री दाऊलाल हर्ष, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28–05–1999 व 16–08–1999 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट अपीलांट ने दिनांक 30—12—1996 को चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/38 में 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए बाद जॉच आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 19—12—1998 को आवंटन का पात्र मानते हुए जरिये निलामी में भाग लेने की हिदायत दी गई और दिनांक 30—01—1999 को अपीलांट की अन्तिम निलामी 80000/— में स्वीकार की जाकर 35 प्रतिशत राशि अपीलांट द्वारा जमा करवा दी गई तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। तत्पश्चात्

अपीलांट द्वारा क्रमशः दिनांक 19—07—2000, 26—12—2013 व 31—12—2013 को बकाया राशि जमा करवा दी गई। आवंटन दिनांक से ही वादगत् आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्व अभियान के दौरान अपीलांट को आवंटित वादगत् आराजी की खातेदारी सनद हेतु निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक 11—08—2015 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश हुई।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एकतरफा तौर पर कर दिया गया। कानूनन जब एक बार किसी आराजी का आवंटन होने के पश्चात् उसी रकबे का दुबारा आवंटन नहीं किया जा सकता। चूंकि वादगत् आराजी का आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से खारिज योग्य व प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 1999 में आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई व मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रस्तुत होने पर यह अंकित किया गया कि केवल प्रार्थी का ही आवेदन पत्र है किसी अन्य व्यक्ति ने इस भूमि के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, प्रार्थी का आवेदन एकल है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तत तमाम सबूतों के अनुसार राजस्थान का निवासी, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, सिलिंग सीमा की जॉच के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी जैर की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी जैर की तमाम किश्तें जमा करवाई जाने के उपरान्त अपीलांट को खातेदारी सनद जारी दिनांक 25—05—2009 जारी की जा चुकी है व इंतकाल संख्या 24 भी रेस्पोडेन्ट के नाम से दर्ज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट के नाम दर्जशुदा हो चुके है।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील करीब 16 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट के डबल आवंटन का प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष लम्बित चल रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 30–01–1999 को वादगत् भूमि चक 18 बीएलडी के चक 34/38 में 25 बीघा भूमि का आवंटन जरिये निलामी किया गया। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा आराजी जैर बाबत् तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा उक्त आराजी जैर का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को इस आधार पर आवंटन किया गया कि आराजी जैर के आवंटन हेतु केवल प्रार्थी का आवेदन पत्र है अन्य किसी व्यक्ति का आवेदन इस भूमि के लिए नहीं है।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत प्रस्तावित भूमि चक18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/38 की 25 बीघा भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षों द्वारा अपने आवंटन आदेश की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का प्रथम आवंटन दिनांक 30–01–1999 को तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट को दिनांक 28–05–1999 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत को प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के पश्चात्वर्ती आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या रेस्पोडेन्ट के आवंटन की दिनांक को आराजी जैर विशुद्व रूप से उपलब्ध है अथवा नहीं?

(4) हमने पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तत दस्तोवेजों में वादगत् आराजी के संबंध में टीआरए द्वारा दिनांक 06–08–15 को प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है **कि " मुताबिक सैल रजिस्टर इकत्रपाल सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जटसिख साकिन 16 बीएलडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को चक 18 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 34/38 में किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघ अनकमाण्ड बतौर विशेष आवंटन दर्ज है।**

भूमि कीमत पेटे 35 प्रतिशत सहित समस्त राशि जमा का अंकन है। खातें में किसी प्रकार का नोट अंकन नहीं है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार मुरब्बा नम्बर 34/38 में किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि मेघाराम पुत्र नारायणराम कौम कुम्हार खातेदार दर्ज है।

प्रकरण डबल आवंटन का होने के कारण श्रीमान् एसडीओ खाजुवाला को भिजवाया जाना उचित होगा।''

(6) ऐसी दशा में जब प्रकरण आवंटन अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष आराजी जैर के डबल आवंटन की जॉच हेतु लम्बित होना साबित है, तो ऐसी स्थिति में अपीलांट को अदालत मातहत के समक्ष ही डबल आवंटन के प्रकरण के निपटारे हेतु चाराजोई करनी चाहिए थी। चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा डबल आवंटन के प्रकरण में आज दिनांक तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, व प्रकरण आज दिनांक को भी अदालत मातहत के समक्ष विचारधीन होना साबित है। जब तक अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन डबल आवंटन के प्रकरण पर कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तक न्यायालय हाजा इस अपील में किसी प्रकार का आदेश देना समीचीन नहीं समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों आवंटनों की जॉच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर